



राजस्थान सरकार

भीम
Rajasthan State Power Corporation Limited

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in

Phone No. 0141-2740219

क्रमांक :- जीआईएफ/जीआईएस/सी.ए.आर./भण्डार/2019-20/लूज/ 3501 दिनांक :- 12/2/21

**Managing Director,
Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited,
Vidyut Bhawan, Jyotinagar,
Jaipur - 302005
Phone No. 0141-2741134
e-mail - jaipurdiscom@jvvn.org**

विषय:- राज्य वित्त से होने वाले निर्माण कार्यों में कांटेक्टर ऑल रिस्क/इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) से ही लिये जाने बाबत।

महोदय,


राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 13 (23)FD / R&A-I/77 दिनांक 23.03.1991 द्वारा निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अन्तर्गत साधारण बीमा निधि का गठन किया गया था। साधारण बीमा निधि द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डस, निकायों एवं सहकारी संस्थाओं इत्यादि को साधारण बीमा से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्त विभाग द्वारा अन्य परिपत्रों - क्रमांक एफ.13 (23)FD / R&A-I/77 दिनांक 27.08.1992, एफ.13 (23)FD / R&A-I/77 दिनांक 20.08.1999, एफ.13 (23)FD / R&A-I/77 दिनांक 26.07.2005 एवं 13 (23)FD / R&A-I/77 दिनांक 13.01.2009 के माध्यम से भी उपरोक्त संस्थानों को राज्य सरकार के साधारण बीमा निधि से बीमा कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम-326 में प्रावधान किया गया है कि राजकीय विभागों, निकायों, राज्य निगमों, राजकीय उपक्रमों, सहकारी संगठनों जिनमें राज्य सरकार का सारवान वित्तीय हित निहित हो, के लिये निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रशासित साधारण बीमा निधि बीमाकर्ता के रूप में कार्य करेगी। इस नियम में उल्लेख है कि निगमों, निकायों, सहकारी संस्थाओं इत्यादि की सम्पत्तियों का बीमा जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया या किसी बीमा कंपनी/सोसायटी से वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग की पूर्व सहमति से बिना नहीं कराया जायेगा।

वर्तमान में, साधारण बीमा निधि द्वारा कांटेक्टर ऑल रिस्क (सी.ए.आर.)/इरेक्शन ऑल रिस्क (ई.ए.आर.) इंश्योरेंस का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। अतः राज्य वित्त से पोषित होने वाले समस्त कार्यों में सी.ए.आर./ई.ए.आर. पॉलिसी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रशासित साधारण बीमा निधि से ही ली जानी आवश्यक है।

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेशों/परिपत्रों तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम-326 के संदर्भ में निवेदन है कि सी.ए.आर./ई.ए.आर. पॉलिसी साधारण बीमा निधि (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) से ही लिये जाने के संदर्भ में आपके अधीनस्थ कार्यालय को निर्देशित करने का श्रम करावें। राज्य सरकार का जिन विभागों, निगमों, उपक्रमों, निकायों, बोर्डस,

सहकारी संस्थाओं इत्यादि में वित्तीय हित निहित हो, उनके द्वारा कांटेक्टर ऑल रिस्क (C.A.R.) इरेक्शन ऑल रिस्क (E.A.R.) सहित साधारण बीमा की सभी बीमा पॉलिसियों साधारण बीमा निधि से ही ली जावे।



(पदमा राम)
निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

JPD/Rules- 1377



JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

"प्रभास्मि शशि सूर्ययोः"

Office: New Shed no. 3, Old Power House Premises, Near Ram Mandir,

Banipark, Jaipur- 302006. Email: caoia@jvvn.org / Website: <http://energy.rajasthan.gov.in/jvvn>

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F. 78 /D. 6008

Jaipur, dated: - 09/03/21

Copy of SIPF letter no. GIF/GIS/C.A.R./Bhandar/2019-20/loose/ 3501 dated 12.02.2021 is submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control in order to ensure the compliance of the instructions issued as above by the ESI: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), JPD, _____
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer () / Dy. Director of Personnel (), JPD, _____
8. The Superintending Engineer (), JPD, _____
9. The Superintending-Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____
11. T.A. to MD, JVVNL, Jaipur.
12. P.A to the Accountant General (Audit-II), O/o AG Rajasthan, Jaipur.
13. P.A to the Chairman & Managing Director (Discoms), Jaipur.
14. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Dr. R.P. Gupta)

Chief Accounts Officer (IA)

Note: - Orders issued under JPD/Rules are also available on the website of Jaipur Discom.